

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 15/2022-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2022

सा. का. नि. (अ)- केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विस्तार तक, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचना का और संशोधन करती है, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	अधिसूचना संख्या और तारीख	संशोधन			
(1)	(2)	(3)			
1.	अधिसूचना सं. 25/2002-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002 सा. का. नि. 122(अ) तारीख 1 मार्च, 2002 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में आरम्भिक पैरा में, परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- “परन्तु यह और कि इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् लागू नहीं होगी।”।			
2.	अधिसूचना सं. 24/2005-सीमाशुल्क, तारीख 01 मार्च, 2005 सा. का. नि. 122(अ) तारीख 01 मार्च, 2005 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, सारणी में (i) क्रम सं. 13थ के सामने स्तंभ 3 में मद (ज) के पश्चात् 1 अप्रैल, 2022 से निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :- “(ट) कलाई में पहनने योग्य युक्ति (जो सामान्यतः स्मार्ट घड़ी के रूप में जानी जाती है)”; (ii) क्रम सं. 23 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर 1 अप्रैल, 2022 से निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :- <table border="1"><tr><td>“23.</td><td>8541 (सिवाय 8541 42 00 या 8541 43 00)</td><td>फोटोवोल्टिक सेल, चाहे मॉड्यूल में एकत्रित हों या न हो पैनल में बने हों या न बने हों, के सिवाए सभी माल।”;</td></tr></table> (iii) क्रम सं. 38 के पश्चात् 1 अप्रैल, 2022 से निम्नलिखित क्रम सं. और	“23.	8541 (सिवाय 8541 42 00 या 8541 43 00)	फोटोवोल्टिक सेल, चाहे मॉड्यूल में एकत्रित हों या न हो पैनल में बने हों या न बने हों, के सिवाए सभी माल।”;
“23.	8541 (सिवाय 8541 42 00 या 8541 43 00)	फोटोवोल्टिक सेल, चाहे मॉड्यूल में एकत्रित हों या न हो पैनल में बने हों या न बने हों, के सिवाए सभी माल।”;			

		<p>प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-</p> <table border="1"> <tr> <td>“38क</td> <td>8541 42 00 या 8541 43 00</td> <td>क्रम संख्यांक 1 से 38 के अधीन आने वाले मालों के साथ केवल और अनन्यतः उपयोग के लिए सभी माल ।</td> </tr> </table>	“38क	8541 42 00 या 8541 43 00	क्रम संख्यांक 1 से 38 के अधीन आने वाले मालों के साथ केवल और अनन्यतः उपयोग के लिए सभी माल ।			
“38क	8541 42 00 या 8541 43 00	क्रम संख्यांक 1 से 38 के अधीन आने वाले मालों के साथ केवल और अनन्यतः उपयोग के लिए सभी माल ।						
3.	<p>अधिसूचना सं. 25/2005-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2005 सा. का. नि. 123(अ) तारीख 1 मार्च, 2005 द्वारा प्रकाशित ।</p>	<p>उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-</p> <p>(i) क्रम सं. 9 के सामने, स्तंभ (3) में, प्रविष्टि के स्थान पर “टेलिफोन लाइन हैण्डसेट” प्रविष्टि रखी जाएगी;</p> <p>(ii) क्रम सं. 28 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-</p> <table border="1"> <tr> <td>“28</td> <td>8544 42, 8541 49</td> <td>सेलुलर मोबाइल फोन के लिए यूएसबी केबल्स के सिवाय दूर-संचार के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रकार के 80 वी से अधिक वोल्टेज के लिए, इलेक्ट्रिक कंडक्टर ।”;</td> </tr> </table> <p>(iii) क्रम सं. 28 के सामने, स्तंभ (3) में “मोबाइल फोन” शब्दों के स्थान पर “मोबाइल फोन या कलाई पर पहने योग्य युक्ति (जो सामान्यतः स्मार्ट घड़ी के रूप में जानी जाती है)” शब्द 1 अप्रैल, 2022 से रखे जाएंगे।</p> <p>(iv) क्रम सं. 32 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां 1 अप्रैल, 2022 से अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-</p> <table border="1"> <tr> <td>“32क</td> <td>8541 42 00 या 8541 43 00</td> <td>क्रम संख्यांक 1 से 32 के अधीन आने वाले मालों के साथ केवल और अनन्यतः उपयोग के लिए सभी माल ।”;</td> </tr> </table>	“28	8544 42, 8541 49	सेलुलर मोबाइल फोन के लिए यूएसबी केबल्स के सिवाय दूर-संचार के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रकार के 80 वी से अधिक वोल्टेज के लिए, इलेक्ट्रिक कंडक्टर ।”;	“32क	8541 42 00 या 8541 43 00	क्रम संख्यांक 1 से 32 के अधीन आने वाले मालों के साथ केवल और अनन्यतः उपयोग के लिए सभी माल ।”;
“28	8544 42, 8541 49	सेलुलर मोबाइल फोन के लिए यूएसबी केबल्स के सिवाय दूर-संचार के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रकार के 80 वी से अधिक वोल्टेज के लिए, इलेक्ट्रिक कंडक्टर ।”;						
“32क	8541 42 00 या 8541 43 00	क्रम संख्यांक 1 से 32 के अधीन आने वाले मालों के साथ केवल और अनन्यतः उपयोग के लिए सभी माल ।”;						
4.	<p>अधिसूचना सं. 57/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017 सा. का. नि. 798(अ) तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित ।</p>	<p>उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-</p> <p>(i) क्रम सं. 5 के सामने, स्तंभ (3) में, मद (क) के स्थान पर, 1 अप्रैल, 2022 से निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :-</p> <p>“(क) सेलुलर मोबाइल फोन या कलाई में पहनने योग्य युक्ति (जो सामान्यतः स्मार्ट घड़ियों के रूप में जानी जाती है) के</p>						

		<p style="text-align: center;">अतिरिक्त अन्य सभी माल”;</p> <p>(ii) क्रम सं. 6ख के सामने, स्तंभ (3) में, परन्तुक का लोप किया जाएगा; (iii) क्रम सं. 13क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-</p> <table border="1" data-bbox="683 401 1453 1171"> <tr> <td data-bbox="683 401 803 1171">“13ख.</td> <td data-bbox="803 401 966 1171"></td> <td data-bbox="966 401 1315 1171"> चाार्ज्स्/एडाप्टर के ट्रांसफॉर्मर के विनिर्माण में उपयोग के लिए निम्नलिखित माल :- 3208 90 49 (क) वार्निश 3919 90 90 (ख) इन्सुलेशन टेप 8504 90 10 (ग) फेराइट कोर 8544 11 10 (घ) तांबे के तार तामचीनी 8544 49 99 (ङ) ट्रिपल इन्सुलेटेड घुमावदार तार परन्तु इस क्र. सं. में अन्तर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी । </td> <td data-bbox="1315 401 1388 1171">5%</td> <td data-bbox="1388 401 1453 1171">1”;</td> </tr> </table> <p>(iv) क्रम सं. 18 के सामने, स्तंभ (2) में, प्रविष्टियों के स्थान पर, “8518 (8518 21, 8518 22, 8518 29, 8518 30 और 8518 90 00 के सिवाय)” प्रविष्टियां रखी जाएंगी;</p>	“13ख.		चाार्ज्स्/एडाप्टर के ट्रांसफॉर्मर के विनिर्माण में उपयोग के लिए निम्नलिखित माल :- 3208 90 49 (क) वार्निश 3919 90 90 (ख) इन्सुलेशन टेप 8504 90 10 (ग) फेराइट कोर 8544 11 10 (घ) तांबे के तार तामचीनी 8544 49 99 (ङ) ट्रिपल इन्सुलेटेड घुमावदार तार परन्तु इस क्र. सं. में अन्तर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी ।	5%	1”;
“13ख.		चाार्ज्स्/एडाप्टर के ट्रांसफॉर्मर के विनिर्माण में उपयोग के लिए निम्नलिखित माल :- 3208 90 49 (क) वार्निश 3919 90 90 (ख) इन्सुलेशन टेप 8504 90 10 (ग) फेराइट कोर 8544 11 10 (घ) तांबे के तार तामचीनी 8544 49 99 (ङ) ट्रिपल इन्सुलेटेड घुमावदार तार परन्तु इस क्र. सं. में अन्तर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी ।	5%	1”;			
5.	अधिस्चना सं. 8/2020-सीमाशुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2020 सा. का. नि. 68(अ) तारीख 2 फरवरी, 2020 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिस्चना में, सारणी में,- (i) क्रम सं. 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :- <table border="1" data-bbox="669 1556 1453 1654"> <tr> <td data-bbox="669 1556 764 1654">“1क.</td> <td data-bbox="764 1556 1453 1654">टैरिफ मद 3006 10 10 के अधीन आने वाले सर्जिकल टांके के निर्माण में उपयोग के लिए टैरिफ मद 9018 32 10 के अधीन आने वाली सर्जिकल सूई।</td> </tr> </table>	“1क.	टैरिफ मद 3006 10 10 के अधीन आने वाले सर्जिकल टांके के निर्माण में उपयोग के लिए टैरिफ मद 9018 32 10 के अधीन आने वाली सर्जिकल सूई।			
“1क.	टैरिफ मद 3006 10 10 के अधीन आने वाले सर्जिकल टांके के निर्माण में उपयोग के लिए टैरिफ मद 9018 32 10 के अधीन आने वाली सर्जिकल सूई।						

2. अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2022 को प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 334/01/2022-टीआरयू]

(नितिश कर्नाटक)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण:

1. मूल अधिसूचना संख्या 25/2002-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 122(अ) तारीख 1 मार्च, 2002 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना संख्या 57/2021- सीमाशुल्क, तारीख 29 दिसंबर, 2021 द्वारा संशोधित की गई थी, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि 906(अ), तारीख 29 दिसम्बर, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।
2. मूल अधिसूचना संख्या 24/2005-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2005, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड-3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि.122(अ) तारीख 1 मार्च, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना संख्या 57/2021- सीमाशुल्क, तारीख 29 दिसंबर, 2021 द्वारा संशोधित की गई थी, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 906(अ), तारीख 29 दिसम्बर, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।
3. मूल अधिसूचना संख्या 25/2005-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2005, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड-3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि.123(अ) तारीख 1 मार्च, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना संख्या 57/2021- सीमाशुल्क, तारीख 29 दिसंबर, 2021 द्वारा संशोधित की गई थी, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 906(अ), तारीख 29 दिसम्बर, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।
4. मूल अधिसूचना संख्या 57/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 798(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना संख्या 57/2021- सीमा शुल्क, तारीख 29 दिसंबर, 2021 द्वारा संशोधित किया गया था, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 906(अ), तारीख 29 दिसम्बर, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।
5. मूल अधिसूचना संख्या 8/2020-सीमाशुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2020, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 68(अ), तारीख 2 फरवरी, 2020 द्वारा प्रकाशित की गई थी

और अंतिम बार अधिसूचना संख्या 22/2021- सीमा शुल्क, तारीख 31 मार्च, 2021 द्वारा संशोधित की गई थी, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 237(अ), तारीख 31 मार्च, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।